

न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर  
पीठासीन अधिकारी : विश्राम मीणा, आई०ए०एस०

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 15/2018

प्रार्थी-

बनाम

अप्रार्थीगण-

तमाची खां पुत्र दुला खां जाति  
मुसलमान निवासी भंवरीसर  
तहसील शिव जिला बाड़मेर

1. अलाना खां पुत्र श्री हाकू खां जाति  
मुसलमान निवासी नेगरड़ा तहसील  
शिव जिला बाड़मेर
2. सरपंच ग्राम पंचायत झांफली कला  
पंचायत समिति शिव जिला बाड़मेर
3. राजस्थान सरकार जरिये ग्रामसेवक  
(ग्राम विकास अधिकारी) एवं पदेन  
सचिव, ग्राम पंचायत झांफली कला  
पंचायत समिति शिव जिला बाड़मेर

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज  
अधिनियम, 1994 विरुद्ध पट्टा संख्या 6 दिनांक 05.09.2009 जो  
अप्रार्थी सं. 1 अलाना खां के नाम ग्राम पंचायत झांफली कला  
द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :-

1. प्रार्थी श्री तमाची खां स्वयं उपस्थित।
2. अप्रार्थी सं 1 से 3 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित होने से एकपक्षीय।

निर्णय

दिनांक : 27/10/2020

1. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि  
अप्रार्थी सं. 2 ग्राम पंचायत झांफली कला द्वारा अप्रार्थी सं. 1 अलाना खां के  
पक्ष में राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 157(1) के अधीन  
मौहल्ला ईस्माईल की ढाणी ग्राम नेगरड़ा में ग्राम पंचायत की आबादी भूमि



जिला कलक्टर  
बाड़मेर

का दो सौ रूपये शुल्क पर आवंटन पट्टा सं. 6 दिनांक 05.09.2009 जारी किया गया। इस भूखण्ड का नाप एवं क्षेत्रफल पट्टा के संलग्न अनुसूची में वर्णित अनुसार 2400 वर्गफुट दर्शाया गया है। ग्राम पंचायत झांफली कला द्वारा इस पट्टा विलेख को जारी करने में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के प्रावधानों की पालना नहीं किये जाने से उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलु पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत जांच करते हुए अपास्त करने हेतु यह निगरानी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया।

2. प्रार्थी द्वारा निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत झांफली कला द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 में विहित प्रावधानों की पालना किये बिना ही आलौच्य पट्टा जारी किया गया है जबकि ग्राम पंचायत द्वारा बिना नीलाम किये कोई पट्टा जारी नहीं किया जा सकता है। उक्त पट्टे में कहीं भी उल्लेख नहीं किया है कि पट्टा जारी करने का कोई विशेष कारण रहा है। ग्राम नेगरड़ा की आबादी भूमि का खसरा नम्बर भी नहीं दिया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी को पुराने आवास का नियमितीकरण द्वारा दो सौ रूपये शुल्क पर उक्त पट्टा जारी किया गया है जबकि उक्त शुल्क जमा किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है। अतः ग्राम पंचायत द्वारा आलौच्य पट्टा नियम विरुद्ध एवं अप्रार्थी की पात्रता के अभाव में अनियमित कार्यवाही के द्वारा जारी किया गया है जिसे निरस्त किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

3. अप्रार्थी सं. 1 पट्टाधारी की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा दौराने सुनवाई पैरवी की हिदायत नहीं होना प्रकट किया गया तथा अप्रार्थी सं. 1 स्वयं सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं हुआ लिहाला एकपक्षीय सुना गया।



जिला कलक्टर  
बाड़मेर

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी की ओर से प्रकट तथ्यों पर मनन किया जिससे पाया जाता है कि ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में जारी पट्टा सं. 6 दिनांक 05.09.2009 ग्राम नेगरड़ा की आबादी भूमि में पुराने निवास के नियमितीकरण हेतु नियम 157(1) के तहत आवंटित किया गया है। ग्राम पंचायत झांफली कला द्वारा आलौच्य पट्टा से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई मूल पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि ग्राम पंचायत द्वारा पत्रावली संधारित की जाकर विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए यह पट्टा जारी किया गया है। किन्तु प्रार्थी का मूल अभिकथन है कि अप्रार्थी का पुराना आवास नहीं है और न ही उसका कोई साक्ष्य सबूत ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत किया गया है लिहाजा रियायती दर पर आवंटन की श्रेणी में नहीं आता है। ग्राम पंचायत की पत्रावली में मौका कमेटी की निरीक्षण रिपोर्ट में नियम 157(ख) के तहत पट्टा जारी किया जाना उचित है, अंकित किया है जबकि ऐसा कोई दस्तावेज संलग्न नहीं है और न ही अप्रार्थी की पहचान एवं ग्राम का निवासी होने का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा इस निगरानी प्रार्थना पत्र के जरिये आलौच्य पट्टा जारी करने में मुख्य अनियमितता एवं अवैधानिकता प्रकट की गई है कि अप्रार्थी रियायती दर पर भूखण्ड पाने का अधिकारी नहीं है तथा ग्राम पंचायत को आबादी भूमि का नियमानुसार नीलामी के द्वारा आवंटन किया जाना चाहिए। अधिनस्थ ग्राम पंचायत की पत्रावली के अवलोकन से प्रार्थी के उक्त कथन ही पुष्टि होती है, लिहाजा प्रार्थी ने इस निगरानी प्रार्थना पत्र में अनियमितता अथवा अवैधानिकता की ओर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट कराया है और ग्राम पंचायत की पत्रावली के अवलोकन से भी उक्त अवैधानिकता दृष्टिगोचर होती है। ऐसे में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत यह निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

5. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह निगरानी प्रार्थना पत्र जांच एवं परीक्षण उपरांत



जिला कलकटर  
बाइवर

स्वीकार किया जाकर आलौच्य पट्टा सं. 6 दिनांक 05.09.2009 अपास्त किया जाता हैं तथा प्रकरण पुनः नवसृजित ग्राम पंचायत नेगरड़ा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि अप्रार्थी सं. 1 की पात्रता की जांच एवं नियमानुसार कार्यवाही सम्पन्न की जाकर प्रकरण का निपटारा



करें।

निर्णय आज दिनांक 27.10.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

( विश्राम शीणा )  
जिला कलक्टर, बाड़मेर  
**जिला कलक्टर**  
**बाड़मेर**